

## आवेदन का प्रारूप

(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18/09/2018)

अधिष्ठाता (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) म.गं.स्मृति.चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के पद हेतु

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित  
फोटो

1. आवेदक का नाम .....
  2. पुरुष/महिला .....
  3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
  4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं..... ईमेलआईडी .....
  5. स्थाई पता.....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....
  6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) .....
  7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
  8. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग .....  
..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )
  9. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनोंक .....
- अ. (एम वी वी.एस.)-  
ब. एमडी/एमएस-  
स. एमसीएच/डीएम-
10. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	कुल शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक		
2	सह प्राध्यापक		
3	सहायक प्राध्यापक		
4	ट्यूटर/प्रदर्शक		

11. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)।

- 1 एम.बी.बी.एस. डिग्री
- 2 एमडी/एमएम/एमसीएच/डीएम डिग्री
- 3 एम.डी./एम.एस. प्रयास प्रमाण पत्र
- 4 मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.बी.बी.एस)
- 5 मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.डी./एम.एस.)
- 6 आधार कार्ड

12. प्राथमिकतायें:-

- 1.हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री योग्यता धारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त।
2. म.प्र.के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षक के रूप में कार्य का अनुभव।
3. चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालों से संबंधित न्यायालयीन कार्य एवं प्रकरणों में कार्य करने का अनुभव एवं दक्षता।
4. प्रभारी अधिष्ठाता के रूप में कार्य करने का अनुभव।

संलग्न:-

स्थान.....  
दिनोंक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जॉच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
4. म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 मुझ पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

अन्य जानकारी

1. वेतनमान - नियमित नियुक्ति हेतु  
अधिष्ठाता - 37400-67000+ ग्रेड-पे 10000 + शासन द्वारा समय-समय पर देय भत्ते।
2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
  - जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
3. शैक्षणिक अर्हताये :-
  - मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।

**Post Academic qualifications Teaching/Research Experience**

Post	Academic qualifications
Dean	Should possess the recognised postgraduate medical qualification and other academic qualification from a recognized institution with a minimum of ten years' teaching experience as Professor/Associate Professor/Reader in a medical college/Instt. Out of which atleast five years should be as Professor in a department. Preference for these appointments may be given to the Heads of the Departments.

- अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल/मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. निरर्हतायें-
    - 4-1 विकृत चित्त वाला होने पर।
    - 4-2 दुश्चरित्र होने पर।
    - 4-3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
    - 4-4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
    - 4-5 विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
    - 4-6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
    - 4-7 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
    - 4-8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
  5. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- आयुक्त, इन्दौर संभाग, संभागायुक्त कार्यालय, मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर में आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2018 सायं 05.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
  6. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  7. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष तथा अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) व सूचना पटल पर उपलब्ध है।

8. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें।  
**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।